जिला सैनिक कल्याण, सोलन की विशेष निधि के लेखाओं की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/03

भाग- प्रथम

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :- गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि विभाग द्वारा इन प्रतिवेदनों के पैरो के निपटारे हेतु कोई प्रयत्न नही किया गया है जो कि अत्यन्त खेदजनक है। अतः इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरो के निपटारे हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाय। अनिर्णीत पैरो की स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/97

(1) पैरा 4 :- अनिर्णीत
(2) पैरा 5 :- अनिर्णीत
(3) पैरा 6 :- अनिर्णीत

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :- अवधि 4/97 से 3/03 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण दिनांक 17-12-03 से 1-1-04 तक, हरदेव सिंह शांडिल, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। माह 5/97, 9/97, 6/98, 3/99, 6/99, 7/99, 8/2000, 9/2000, 9/01, 11/01, 1/03 व 3/03 का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया। अनुवर्ती पैरो में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

3. **वित्तीय स्थिति** :– अंकेक्षण अवधि 4/97 से 3/03 तक निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:–

वर्ष	आदि शेष	आय	जोड़	व्यय	अन्तिम शेष
97-98	58446.19	1,29,523.00	1,87,969.19	1,42,386=00	45,583=19
1998-99	45,583-19	96,807=00	1,42,390=19	91,986=00	50,404=19
99-2000	50,404=19	54,713=00	1,05,117=19	97602=00	7515=19
00-01	7,515=19	1,08,815=41	1,16,330=60	74383=00	41947=60
01-02	41,947=60	1,19,327=36	1,61,274=96	77,498=00	83,776=96
02-03	83,776=96	1,05,204=60	1,88,981=56	11,440=00	1,77,541=56

दिनांक 31-3-03 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में जमा राशि (खाता सं०-01100050165) = 1,77,541=56

4. **अंकेक्षण शुल्क** :– अवधि 4/97 से 3/03 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षा शुल्क मु० ~~4800=00~~ 5400-00 रु० बनता है। उक्त शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या सी० डी०/जे० 762951, दिनांक 4-2-04 द्वारा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, हि० प्र०, शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई।

(3) 313

5. दैनिक भोगी कर्मचारियों की उपस्थितियों को सत्यापित किये बिना वेतन का भुगतान किया जाना:- जिला सैनिक कल्याण, द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात अध्यापिकाओं एवं सहायिकाओं को उनके मासिक वेतन के बिलों का भुगतान, बिना वेतन बिल तैयार किये, केवल रसीद द्वारा किया गया है! जबकि नियमानुसार बिल में इन कर्मचारियों की उपस्थितियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के पश्चात ही बिलों को भुगतान के लिए पारित किया जाना चाहिए था! अतः बिना उक्त औपचारिकतायें पूर्ण किये, वेतन के बिलों के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में बिल में उपस्थितियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये! इस प्रकार के कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	नाम	माह	वेतन के भुगतान की राशि	टिप्पणी
[illegible]	श्रीमती कमला देवी वी॰टी॰सी॰ गोडा	5/99	1581=00	भुगतान केवल रसीद द्वारा किया गया है
[illegible]	" इन्दिरा, वी॰टी॰सी॰ मझगांव	5/99	1581=00	—— यथोपरि ——
[illegible]	" देवकू — मझगांव	5/99	400=00	— यथोपरि —
[illegible]	" इन्दिरा — सेरी	6/01 से 8/01	4692=00	बिल में केवल 6/01 की उपस्थितियां दर्शाई गई है, 7/01 व 8/01 की उपस्थितियां नही दर्शाई गई है।
[illegible]	" कमला — खजां	6/01 से 8/01	4692=00	—— यथोपरि—

(प) 3 5

बिल को सत्यापित किये बिना किराये का भुगतान:-

निम्न विवरणानुसार श्रीमती भगवती देवी, टी०जी० टी० अध्यापिका को नालागढ़ से सोलन व वापिसी के किराये का भुगतान किया गया है, परन्तु किराये के बिल को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित व पारित नहीं किया गया है, व बस के किराये के टिकट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये! अतः अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करली जाये तथा अनुपालना अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

वाउचर संख्या	दिनांक	किराये की भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
20	4-6-99	79=00	यद्यपि टिकट बिल से से संलग्न है परन्तु बिल को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित व पारित नहीं किया गया
16	18-8-2000	79=00	बिल के साथ किराये के टिकट संलग्न नहीं है।

7\. **दैनिक वेतन पर नियुक्त अध्यापिकाओं को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश एवं छुट्टियों का भुगतान किया जाना :-**

(क) निदेशालय, सैनिक कल्याण, हमीरपुर के पत्र संख्या 12-15-सोलन/96 सै० क० वि०, दिनांक 17-7-97 जो कि प्रधान भूतपूर्व सैनिक लीग, नालागढ़, जिला सोलन, हि० प्र० को प्रेषित है व जिसकी प्रतिलिपि उप-निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, सोलन को भी पृष्ठांकित की गई है (अंकित पृष्ठ-24) के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत अध्यापिकाएं एक वर्ष के लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त की जाती हैं। परन्तु दैनिक भोगी कर्मचारियों को सभी सार्वजनिक अवकाश एवं छुट्टियों (Leave) के वेतन का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है। जबकि उपरोक्त कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार राजपत्रित व छुट्टियों का भुगतान किया गया है।

वा० संख्या दिनांक	जिस माह के वेतन का भुगतान किया गया	वेतन की राशि	कर्मचारी का नाम	राजपत्रित अवकाश एवं छुट्टियों का विवरण	राजपत्रित अवकाश एवं छुट्टियों की राशि
12 [illegible]-6-98	5/98	1418=00	श्रीमती भगवती देवी VTC नालागढ	7-5-98 ईद 9-5-98 दूसरा शनिवार	2 दिन : 91=00
यथोपरि	-यथोपरि	400=00	" रचना देवी VTC नालागढ	-यथोपरि-	2 दिन . 26=00
[illegible] -6-98	5/98	1418=00	" कमला शर्मा	8-5-98 ईद 9-5-98 दूसरा शनिवार 11-5-98 बु.द्ध पूर्णिमा 12-5-98 से 16-5-98 Leave	8 दिन . 366=00
[illegible] -6-98	5/98	1418=00	" इन्दिरा	7-5-98 ईद 9-2-98 2nd शनिवार 11-5-98 बु.द्ध पूर्णिमा	3 दिन 137=00
यथोपरि	-यथोपरि	400=00	" देवकू	-यथोपरि-	3 दिन 31=00
					योग :- 651=00 ✓

इस प्रकार दैनिक वेतन पर नियुक्त उपरोक्त कर्मचारियों को किये गये सार्वजनिक अवकाश व छुट्टियों के वेतन के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उपरोक्त सार्वजनिक अवकाश एवं छुट्टियों के भुगतान की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जावे।

(ख) श्रीमती कमला शर्मा को 12-5-98 से 16-5-98 तक किस प्रकार का अवकाश, किस उद्देश्य से दिया गया, एवं अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति इत्यादि का अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(7) 317

छात्रवृत्तियों के भुगतान बाबत!

आर० आर० निधि से भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति प्रदान करने की निम्न शर्तें हैं।

1. केवल एक बच्चे को एक समय में छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा समस्त काल में एक सैनिक के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी
2. केवल उसी छात्र को जो कम से कम 40% अंक लेकर गत परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो!
3. जिसकी आय सभी साधनों से (पेंशन सहित) 3600/- रू० वार्षिक हो!

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि पूर्ण काल में एक सैनिक के 2 बच्चों से अधिक को छात्रवृत्ति नहीं दी गई! अतः भविष्य में उपरोक्त अपेक्षित रिकार्ड तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि छात्रवृत्ति के भुगतान की जाँच नियमानुसार की जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये!

छात्रों से छात्रवृत्ति के भुगतान की रसीदें प्राप्त न किया जाना :- निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं में पढ़ रहे भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को बैंक ड्राफ्ट द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया गया है, परन्तु भुगतान के समर्थन में प्राप्तकर्ता से प्राप्ति की रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिससे भुगतान की गई राशियों की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः इन्हें प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

दिनांक	राशि	छात्र का नाम	संस्था का नाम जिसे आगामी वितरण हेतु राशि भेजी गई
20-5-97	1200	उदेय सिंह	रा० क० मा० पा०, सोलन
21-2-03	1200	प्रेम लता	राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय सोलन.

अनुदान राशि का बैंक खाते में जमा किये बिना सीधा भुगतान किया जाना :-

निदेशालय, सैनिक कल्याण, हमीरपुर से माह 7/2000 में 3000 रु० की अनुदान राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई, परन्तु उक्त राशि बैंक में जमा किये बिना ही सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई, जबकि नियमानुसार पूर्ण राशि पहले बैंक में जमा की जानी चाहिए थी तदोपरान्त ही वितरित की

जानी चाहिए थी। इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से विशेष तौर से परिहार किया जाए। वित्तीय सहायता के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है!-

क्र० सं०	वाउचर संख्या	माह	जिसे भुगतान किया गया	राशि
1.	8	7/2000	श्री भगता बहादुर	1000-00
2.	9	7/2000	नायक किशन सिंह	1000-00
3.	10.	7/2000	श्रीमती श्यामला देवी	1000-00
			योग	3000-00

11. लघु आपत्ति विवरणिका !- इसे अलग से जारी नहीं किया गया!

12. निष्कर्ष !- लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है!

हस्ता/-
अनुभाग अधिकारी,
स्थानीय निधि लेखा,
हि० प्र० शिमला-171009.

(10) 780

पृष्ठांकन संख्या 203 दिनांक 1-4-04

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का साटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर (हि० प्र०)
3. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हि० प्र० शिमला-2.
4. जिलाधीश, सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हि० प्र० शिमला-9.

ह०/-

अनुभाग अधिकारी,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009